आवश्यक/तत्काल

संख्या:20/2020/1371/12-2-2020-एफ.42/2001

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 28 जुलाई, 2020

विषय: यूरिया उर्वरक का कृत्रिम अभाव पैदा करके अवांछनीय तत्वों/व्यवसाईयों द्वारा जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने तथा यूरिया के साथ अन्य उत्पादों को टैग करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में वर्तमान समय में अच्छी वर्षा होने के कारण इस वर्ष कृषकों के द्वारा खरीफ फसलों की बुवाई/रोपाई का कार्य तेजी से प्रारम्भ हो गया है जिसके कारण कृषकों के मध्य यूरिया उर्वरक की काफी मांग भी बढ गयी है। वर्तमान में प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उर्वरक की उपलब्धता है। ऐसी पूरी आशंका है कि यूरिया की अधिक मांग के परिप्रेक्ष्य में यूरिया उर्वरक का कृत्रिम अभाव पैदा करके निजी विक्रेताओं/व्यवसाईयों द्वारा जमाखोरी करने एवं कालाबाजारी/अधिक दरों में किसानों को बेची जाये अथवा यूरिया के साथ अन्य उत्पादों को टैग करते हुए प्राप्त/क्रय करने हेतु कृषकों को बाध्य किए जाने की कार्यवाही की जाये। कतिपय जनपदों में निर्धारित दरों से अधिक दरें निजी विक्रेताओं द्वारा लिए जाने की शिकायतें आई हैं जिसके कारण से सहकारी संस्थाओं से यूरिया क्रय करने का दबाव बढा है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त अवांछित गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु पूर्व में शासनादेश संख्या: 15/2020/1072/12-2-2020-एफ.42/2001 दिनांक 22 जून, 2020 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर सघन छापे की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। ऐसे स्थान जहॉ पर ब्लैक मार्केटिंग/ जमाखोरी या अधिक दरों में बिक्री की शिकायत प्राप्त हो, वहॉ क्षेत्रीय अधिकारियों की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निगरानी में उर्वरकों का वितरण कराया जाए। इसके साथ ही उर्वरक का वितरण पी0ओ0एस0 मशीन द्वारा सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण/छापे के दौरान स्टाक का मिलान पी0ओ0एस0 मशीन के आधार पर किया जाए।

4. कृपया ऐसी अवैध गतिविधियों/किसान विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने वाले असामाजिक तत्वों अथवा विक्रेताओं के विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 के प्राविधानानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 20/2020/1371(1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0/यू0पी0स्टेट एग्रो/गन्ना संघ एवं औद्योनिक संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त उर्वरक निरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

राधेश्याम
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।